Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 07-12-2006

Participants : Ahir Shri Hansraj Gangaram

an>

Title: Need to implement SC's judgement to stop E-auction of coal.

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति जी, कोल इंडिया में पिछले 18 महीनों से ई-ऑक्शन के माध्यम से लघु व अन्य उद्योगों को कोयला लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके चलते देश के अनेक उद्योग-लघु उद्योग बन्द हो गए हैं तथा कुछ बन्द होने के कगार पर हैं। इस प्रणाली को लागू करके उसने अपनी मौनोपौली का दुरुपयोग किया है। कुछ लघु उद्योगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने पर हाल ही में 1 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने इन लघु उद्योगों व अन्यों को राहत दी तथा इन सभी उद्योगों को नोटिफाइड रेट से कोयला देना उचित बताया है तथा ई-ऑक्शन प्रणाली को अवैध करार दिया है एवं लघु उद्योगों को समाप्त करने वाली नीति बताते हुए लघु उद्योगों को तुरन्त राहत देने की सलाह दी है। इसके साथ-साथ ई-ऑक्शन से प्राप्त अधिक दाम की रकम लौटाने की बात कही एवं 12 प्र ातिशत ब्याज सहित डिपॉजिट रकम लौटाने के निर्देश दिए हैं।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि कोल इंडिया तथा कोल मंत्रालय द्वारा ई-ऑक्शन प्रणाली लागू करने के लिए जिम्मेदार तत्कालीन कोल मंत्रालय के सचिव एवं कोल इंडिया के अध्यक्ष जिम्मेदार हैं। मेरी जानकारी के अनुसार तत्कालीन कोयला मंत्री एवं कोयला राज्य मंत्री द्वारा ई-ऑक्शन प्रणाली को न लागू करने की लिखित सूचना देते हुए अपनी असहमति जताई। इन दोनों आला अधिकारियों ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष व माननीय प्रधान मंत्री जी को गुमराह कर इस ई-ऑक्शन हेतु सहमति प्राप्त कर ली तथा इसे लागू किया गया, जिससे देश के लघु उद्योग खतरे में आ गए और कुछ बंद हो गए। लघु उद्योगों से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। इन लघु उद्योगों को बन्द कराने की किसी विदेशी साजिश को सफल बनाने में इन दोनों अधिकारियों को इस्तेमाल किए जाने का संदेह है। इस सारी साजिश व मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच होनी चाहिए तथा सभी लिंकेज कस्टूमर व चालू उद्योगों को जिन्हें काला बाजार से कोयला लेना पड़ रहा है, उन सभी को नोटिफाईड दर से कोयला दें, यही मांग मैं आपके माध्यम से सरकार से करता हूं।